न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –281 / 2023

अनवान : –

1. रोहिताश कुमार गंवारिया पुत्र पालाराम जाति बादी निवासी रातुसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. धनपत उर्फ पालाराम पुत्र श्रीराम उर्फ श्यामाराम जाति बादी निवासी रातुसर तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र पालाराम जाति बादी निवासी रातुसर तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री पालाराम जाति बादी निवासी रातुसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 14/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 125 / 122 की कुल तादादी 11.3460 है0 भूमि में से 1 / 8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वयोवृद्ध व्यक्ति है तथा उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रखना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो [illegible] आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद [illegible] डिक्री फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण को एतराज नही होने के कारण स्वीकार किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा संशोधित दावा पेश किया गया। प्रतिवादी स0 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के संबंध में तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि धनपत पुत्र श्रीराम एवं पालाराम पुत्र श्यामाराम एक ही व्यक्ति के नाम है अतः राजस्व रिकार्ड में पालाराम पुत्र श्यामाराम नाम किया जाना उचित है। नाम के संबंध में राजपाल पुत्र श्री दुलीचंद व सत्यवीर पुत्र श्री शिशपाल के बयान लिये गये जो की बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 व 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 की तरफ से वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 125/122 की कुल तादादी 11.3460 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 व 2 द्वारा इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है तथा प्रतिवादी स0 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया गया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 3 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1, 2 व 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:39:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 125/122 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 11.3460 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 धनपत पुत्र श्रीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है ।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:39:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –281/2023
अनवान : –

1. रोहिताश कुमार गंवारिया पुत्र पालाराम जाति बादी निवासी रातुसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. धनपत उर्फ पालाराम पुत्र श्रीराम उर्फ श्यामाराम जाति बादी निवासी रातुसर तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र पालाराम जाति बादी निवासी रातुसर तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री पालाराम जाति बादी निवासी रातुसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 281 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 125/122 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 11.3460 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 धनपत पुत्र श्रीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/12/23 को में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:39:38 IST
Reason: SelfAttested